



द बगि पकिंचरः लैंगकि समानता बनाम धार्मकि रविज्ञ

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

केरल में सबरीमाला मंदिर की सदयों पुरानी प्रथा (जिसके अनुसार 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध था) के खलिफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मशीरा की अध्यक्षता में संवैधानिक खंडपीठ ने पाया है कि प्रारथना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह कानूनों पर निभर नहीं है।

- न्यायालय के अनुसार, सारथजनकि सथान पर एक नजी मंदिर जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है। इसलिये लगि एवं शरीर वजिज्ञान (physiology) के आधार पर कसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- यह निरिण्य देश में नारीवादी आंदोलन के लिये मील का पत्थर साबति होगा।

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में तरक्की

1. अनुच्छेद-14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी प्राचीन परंपरा संवैधानिक जनादेश के खलिफ है।
2. इसी प्रकार अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से कसी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अनुच्छेद-15 का हनन करता है। साथ ही, यह अनुच्छेद-25 (1) में प्रदत्त धार्मकि स्वतंत्रता के अधिकार को भी सीमित करता है।
3. मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का निषिध पूरी तरह से महिलाओं की जैविक संरचना और नारीत्व के आधार पर लिया गया निरिण्य है। यह एक ऐसा निरिण्य है जो समाज में महिला को उसके नारीत्व के कारण अपमानजनक स्थितिप्रदान करता है, यह अनुच्छेद-51 A (e) के लक्ष्य का भी तयाग करता है।
4. संविधान के अनुच्छेद-26 (b) के तहत धार्मकि अधिकारियों के प्रबंधकीय अधिकार, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाकर अनुच्छेद-25 (1) के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत धार्मकि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिये धार्मकि अधिकारियों की स्वायत्तता का तरक्की समाप्त हो जाता है।
5. अनुच्छेद-25 (2)(b) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये या हाउओं की सारथजनकि धार्मकि संस्थाओं को हाउओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिये खोलने का उपबंध प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। ऐसे मामले में राज्य द्वारा संवैधानिक नियमों के प्रवरत्न के लिये एक उचिति कानून बनाया जाना चाहिये।
6. निश्चिति आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध अनुच्छेद-17, जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, सहति कर्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
7. लैंगकि असमानता के तरक्की के अलावा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार भी यहाँ दाँव पर है। धार्मकि संस्थानों के प्रबंधन के नाम पर कुछ लोगों द्वारा धार्मकि अधिकारों का एकाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार को दूषित करता है।
8. सामाजिक दृष्टिकोण से कसी भी क्षेत्र में इस तरह की प्रतिकूल प्रथाएँ अनविराय रूप से मानव क्षमता के प्राकृतिक विकास को सीमित कर देंगी।

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के विरोध में तरक्की

1. धर्म और सामाजिक प्रथाएँ एक-दूसरे से अंतरसंबंधित हैं। इसलिये महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लगि असमानता के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे धार्मकि अभ्यास के रूप में देखा जाना चाहिये जिसका पालन लोगों द्वारा सदयों से किया जा रहा है। इस तरह के धार्मकि अनुष्ठानों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिये।
2. कुछ धार्मकि प्रथाओं और मथिकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरति किया जाता है ताकि एक वशिष्ठ देवता या भगवान को उनके मूल अवतार में याद किया जा सके। इसलिये, इस तरह के विश्वास या प्रथा की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।
3. कुछ प्रथाएँ और विश्वास ऐसे हैं जिन्हें बेहतर फेसले के लिये धार्मकि नकियों के लिये छोड़ा जाना चाहिये और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिये कि वे इन्हें कसी रूप में देखना चाहते हैं।
4. संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक संप्रदाय को अपने धार्मकि मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार है। नतीजतन, धार्मकि नकिय अपने अधिकारों के तहत ऐसे निरिदेशों को पारति कर सकते हैं।
5. यह एक क्षेत्रवासी का धार्मकि मुद्दा है और इसे ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिये।
6. सबरीमाला मंदिर को एक ऐसे संस्थान के रूप में देखा जाना चाहिये जहाँ केवल पुरुषों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जिस प्रकार से बालक और बालिकाओं के अलग-अलग विद्यालय हैं।
7. एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सबरीमाला मंदिर के अंदर कोई "ईश्वर" नहीं है, अपतु मंदिर के अंदर एक "देवता" हैं। देवता एक सामाजिक-

सांस्कृतकि उर्जा केंद्र के रूप में माना जाता है जबकि दूसरी तरफ "ईश्वर" सार्वभौमिक होता है। अतः देवता एक कानूनी इकाई है और इसलिये इसके अधिकार संवधित के विशिष्टिकारों द्वारा संरक्षित हैं।

- सबरीमाला मंदिर के अंदर महलियों के प्रवेश के संबंध में धार्मिक अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली किसी भी महलिया ने अदालत से संपर्क नहीं किया है। यह भी कहा जाता है कि यदि अदालत महलियों के प्रवेश के पक्ष में नियम बनाती है, तो भी भारतीय महलिया धार्मिक रीत-रिवायतों का सम्मान करना जारी रखेगी और स्वयं ही सबरीमाला में प्रवेश नहीं करेगी। यह तरक्कि गलत है। ऐतिहासिक रूप से कानूनी सुधार आमतौर पर सामाजिक-राजनीतिक परविरतन से पहले होते हैं। सती या असपृश्यता जैसी कई पुरातन प्रथाओं के कानूनी तौर पर उन्मूलन में रातोंरात सामाजिक परविरतन नहीं हुआ। कानून अकसर एक संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बल प्रदान करता है।
- मासिक धर्म के आधार पर महलियों के साथ भेदभाव करना न केवल अवैज्ञानिक है बल्कि विशेष रूप से अपमानजनक भी है। इस प्रकृतिकि प्रक्रिया से जुड़ा सामाजिक कलंक धार्मिक प्राधिकरण द्वारा आध्यात्मिक प्रतिविधों के बहाने अंतःस्थापति और समेकति है। 21वीं शताब्दी ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्तिकी अनुमति नहीं देती है।
- बहुत बड़े स्तर पर वभिन्न सामाजिक-राजनीतिक समूहों द्वारा धार्मिक भेदभाव का अभ्यास किया जाता है। कई मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रसादिध जगन्नाथ मंदिर में विदेशियों और किसी अन्य धर्म से जुड़े लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरह के भेदभाव व्यापक स्तर पर हैं और बनियां कानून के डर के खुलेतौर पर प्रचलन में हैं। सबरीमाला मंदिर मामले में एक अनुकूल नियम इसी तरह के अन्य मुद्दों के न्यायिक विचार के लिये एक उदाहरण स्थापति करेगा।

(ठीम दृष्टिइनपुट)

आगे की राह

- सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में प्रवेश का मुददा पुराने मथिकों और मान्यताओं की सहभागिता और ऐसी प्रथाओं के उन्मूलन, जो कविकासशील समय के साथ सामंजस्यपूरण तालमेल नहीं कर पाती हैं, के बीच एक बहस है। चूँकि सिर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे में अंतिम मध्यस्थ है, इसलिये उसे इस मुद्दे को सौहारदरपूरण ढंग से संभालना होगा।
- लगि और शरीर वजिज्ञान के आधार पर महलियों के साथ भेदभाव घृणास्पद है और समतावादी समाज में इसका कोई स्थान नहीं है।